न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी :– सॉवर मल वर्मा, आई0 ए0एस)

अपील संख्या 83 / 14 (अन्तर्गत धारा 76 एलआर एक्ट)

1–मटरू राम पुत्र देवीसहाय जाति जाटव निवासी ग्राम पालका तहसील नगर जिला भरतपुर

बनाम

1–संतोषदेवी पुत्री स्व0 जुम्मा पत्नी सोहनलाल जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला कस्बा नगर जिला भरतपुर

2–पांची पुत्री स्व0 जुम्मा पत्नी सरमन जाति जाटव निवासी ग्राम बरखेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नगर जिला भरतपुर

उपस्थिति :– 1–श्री विष्णु कुमार व श्री विजयसिंह कुन्तल, वकील अपीलाण्टस
2–श्री पंकज कुमार, वकील रैस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2

निर्णय दिनांक 31–5–2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत एक अपील अदालत हाजा में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–6–2014 के विरूद्व इस आशय की पेश की गयी है कि अपीलाधीन निर्णय खिलाफ मौका व खिलाफ पत्रावली होने के कारण निरस्तनीय है क्योकिं ग्राम पालका का विवादित नामान्तकरण संख्या 1023 दिनांक 3–10–2012 विस्तृत निर्णय के आधार पर भरा गया है। इस निर्णय की रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई अपील नही की गयी है। इसलिए अपीलाधीन आदेश गलत तथ्यों पर पारित किये जाने से निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में राजस्व मण्डल, अजमेर की ओर से निगरानी में पारित निर्णय दिनांक 2–5–2011 जिसके द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय 31–7–2007 उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 7–8–2006 व ग्राम पंचायत पालका का निर्णय दिनांक 5–10–2005 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित किया गया था, में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही नामान्तकरण आदेश दिनांक 3–10–2012 पारित किया गया है। कन्टरटेड प्रकरण में अपील सुनने का अधिकार जिला कलक्टर को नही होकर सम्भागीय आयुक्त को होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। मृतक जुम्मा वल्द टूंडला जाटव द्वारा अपने जीवन काल में अपीलाण्ट मटरू के हक में अपनी समस्त चल, अचल सम्पत्ति व विवादित आराजी की वसीयत की गयी थी जिसका पंजीयन भी करवाया गया था। उक्त भूमि मृतक जुम्मा की स्वअर्जित आराजी थी जिसकी वसीयत अपीलाण्ट को किये जाने के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग है जिसमें कोई अधिकार तय नही होते हैं। रैस्पोडेन्ट ने अधिकार को तय कराने के लिये व वसीयत को नल एण्ड वोईड घोषित कराने के लिये सिविल न्यायालय में दावा किया हुआ है जो अभी तय होना शेष है। अतः इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा इस बिन्दु की ओर ध्यान नही दिया गया कि स्वअर्जित भूमि में विरासत के आधार पर नही होकर मृतक द्वारा की गयी वसीयत के अनुसार भरा जाएगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी जिस पर रैस्पोडेन्ट की ओर से श्री पंकज कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली तलब होकर प्राप्त हुई।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया है कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योकिं तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 1023 दिनांक 3–10–2012 सही आधार पर भरा

सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर सम्भाग, भरतपुर

गया है जिसकी कोई अपील रैस्पोडेन्ट द्वारा नही की गयी है परन्तु अदालत मातहत को क्षेत्राधिकार नही होने के बावजूद भी उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने में कानूनी भूल की है। वकील अपीलाण्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त निर्णय राजस्व मण्डल द्वारा ग्राम पंचायत पालका की ओर से पारित आदेश दिनांक 5–10–2006, उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 7–8–2006 व सम्भागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 31–7–2007 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया था जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। कन्टसटेड नामान्तकरण की अपील सुनने का अधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर को नही होने के बावजूद भी गलत रूप से सुनवाई कर निर्णय पारित किया है जबकि विवादित भूमि की वसीयत खातेदार द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में की गयी थी और इसी आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण भरा गया है जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नही है। क्योकिं नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग है जिसमें कोई अधिकार तय नही होते हैं। चूकिं अपील नामान्तकरण विरासत के आधार पर नही होकर वसीयत के आधार पर भरा गया है जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2014 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–10–2012 यथावत रखा जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गयी बहस का प्रत्युत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसीलदार नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2012 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप नही होने के कारण रैस्पोडेन्ट द्वारा उक्त निर्णय की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग के न्यायालय में की गयी थी जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रकरण में गुणावगुण व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देश की पालना नही होने के कारण प्रकरण पुनः निर्णय हेतु नायब तहसीलदार सीकरी तहसील नगर को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसमें इस निर्णय में कोई अनियमितता व अवैधानिकता नही है। जहां तक तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नामान्तकरण कन्टस्टेड होने का प्रश्न है तो यह तर्क मानने योग्य नही है क्योकिं तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण को तस्दीक करने से पहले मृतक के वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है व रैस्पोडेन्ट को सुने विना एकतरफा आदेश पारित किया गया है जो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विपरीत है। अतः उक्त नामान्तकरण कन्टस्टेड नही होकर एकतरफा भरा गया है जिसकी अपील जिला कलक्टर को होने के कारण क्षेत्राधिकार वाले राजस्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग को पेश की गयी है जो कि उचित है तथा अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–6–2014 पारित कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है जो कि उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट ने दिनांक 28–4–01 की वसीयत के आधार पर अधिकारों को तय कराने के लिये दो दावे अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये हैं, उसमें अधिकार तय होगें। नामान्तकरण की समरी कार्यवाही में कोई अनुतोष दादरसी नही दी जा सकती। इस सम्बन्ध में वकील रैस्पोडेन्ट ने आरआरटी–2004 (2) पेज–1140 पर प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि नामान्तकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिसके द्वारा अधिकार अथवा स्वत्व सृजित नही हो सकते हैं। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाण्ट की ओर से सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नगर के न्यायालय में दो दावे प्रस्तुत किये गये थे जो कि दिनांक 22–11–2016 को खारिज हो गये जिनकी अपील राजस्व अपील अधिकारी में किये जाने पर निर्णय दिनांक 6–1–2022 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया गया है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के दो दावे पूर्व से न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिये नामान्तकरण के माध्यम से कोई राहत/दादरसी प्राप्त नही कर सकते। इसी प्रकार वकील रैस्पोडेन्ट ने आरबीजे 2006 पेज–133 में वर्णित प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राजस्व न्यायालय को वसीयत को वैद्यता/अवैद्यता जांच करने का कोई अधिकार नही है। इस आधार पर भी अपील निरस्तनीय है। अतः अपील खारिज की जाकर निर्णय यथावत रखा जावे।

संभाग आयुक्त
संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने व मनन करने तथा बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्वान्तों का अवलोकन करने के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नही है क्योकिं तहसीलदार द्वारा जो निर्णय दिनांक 3–10–2012 पारित किया गया है वह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित दिनांक 2–5–2011 की पालना में किया गया है। इस आदेश के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल ने अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 31–7–2007, उपखण्ड अधिकारी नगर का आदेश दिनांक 7–8–2006 को निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार सीकरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उभयपक्ष को सुनवाई के लिये पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाकर एवं जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय की पालना में वसीयत दिनांक 28–4–01 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1023 अपीलाण्ट के नाम स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो कि उचित नही है कि क्योकिं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2–5–2011 में यह निर्देश दिये गये थे कि नामान्तकरण के सम्बन्ध में उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान कर नियमानुमार निर्णय पारित करें परन्तु तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2012 में वसीयत को आधार मानकर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। निर्णय से पूर्व रेस्पोडेन्टस को किसी तरह का कोई नोटिस आदि नही दिया गया इसलिए उक्त नामान्तकरण कन्टस्टेड नामान्तकरण नही होकर अनकन्टस्टेड मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–10–2012 को निरस्त कर प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार सीकरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पुनः निर्णय पारित करें जिसमें वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिपेक्ष्य में किसी तरह की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नजर नही आती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31–5–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
भरतपुर, भरतपुर